# (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 27-12-21

#### **NOTIFICATION**

No. 8(03)/2020/DAM/MR/ 290 In exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (2) of section 117 read with section 76 (1) (c) of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 07 of 1999), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment in the Delhi Agricultural Marketing Service Regulations, 2004 namely:-

- 1. **Short title and Commencement** (1) These rules may be called, the Delhi Agricultural Marketing Service Regulations (Amendment) Rules, 2021.
  - (2) It shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Amendment of rule 28 The words "including retired/pensioners" shall be added after the words "any employee of the Marketing Service" and words "including retired/pensioners" shall be added after the words "officers and employees of the Marketing Service".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

(H. P. S. SRAN)

SPECIAL SECRETARY (AM)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI** 

# No. 8(03)/2020/DAM/MR 2902-16

Dated: 2.7-12-2

#### Copy to:-

- 01. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 02. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing& Inspection, NH-IV, Faridabad.
- 03. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi.
- 04. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 05. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 06. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 07. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
- 08. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 09. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 11. The Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi, Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi.
- 12. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 13. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15. Guard file.

(RAJENDRA KUMAR)

Zenje me

DEPUTY DIRECTOR (AM)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI** 

## (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ) (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक: 27-12-2

### अधिसूचना

सं० 8(03)/2020/डीएएम/एम आर/ 290 विल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं0–07) की धारा 76 (1) (ग) के साथ पठित धारा 177 की उप–धारा (2) के खंड (ड.) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली कृषि विपणन सेवा विनियमन, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) ये दिल्ली कृषि विपणन सेवा विनियमन (संशोधन) नियम, 2021 कहलायेंगे।
  - (2) ये दिल्ली गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. नियम 28 का संशोधन "सेवानिवृत / पेंशनभोगियों सहित" शब्द "विपणन सेवा के किसी भी कर्मचारी" शब्दों के बाद जोड़े जाएंगे और "सेवानिवृत / पेंशनभोगियों सहित" शब्द "विपणन सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों" शब्दों के बाद जोड़े जाएंगे।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> स्त्रीलाम अरि (एच.पी.एस. सरन)

विशेष सचिव (कृषि विपणन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं० ४(03)/2020/डीएएम/एम आर/ 2701-16

दिनांकः 27-12-21

#### प्रतिलिपि निम्न को:-

सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली। 01.

कृषि विपणन सलाहकार, सरकार भारत, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एनएच-4. 02. फरीदाबाद।

प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली। 03.

सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली। 04.

सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली। 05.

स्टाफअधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 06.

विकासआयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली। 07.

निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार। 08.

- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / समस्त सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, नई दिल्ली को सचिव, दिल्ली कृषि 09. विपणन बोर्ड के माध्यम से।
- उप सचिव (सा०प्र०वि०), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस 10. अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मण्डी, आजादपुर, नरेला, नजफगढ, 11. केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली, पूष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर एवम मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर दिल्ली।

उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नईदिल्ली। 12.

- हिंदी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 13.
- संबंधित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से संबंधित विपणन समिति के समस्त सदस्य। 14.

गार्डफाइल। 15.

(राजेन्द्र कुमार) उप–निदेशक (कृषि विपणन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार